

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~खोपली डी.डी.पा.~~

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~श्री~~ गोपीबाल डी.डी.पा.  
व भू.अ.नि. खोपली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बेलमगडा / नायब  
तहसीलदार बेलमगडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोपली तहसील बेलमगडा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१७ में खाता संख्या ४९ में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	<u>खोपली</u>	<u>४९</u>	<u>गोपीबाल डी.डी.पा. प्रि.नं. ३१४</u> <u>रफ्त R.M.G.B.</u>	<u>गोपीबाल डी.डी.पा. प्रि.नं. ३१४</u> <u>राजस्थान ग्रामीण कै. ६</u>

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेलमगडा

क्रमांक:- 300

दिनांक :- 10/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बेलमगडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री गोपीबाल, डी.डी.पा. को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेलमगडा